

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील सं. 12/2007

उनवान

एम.डिसूजा पुत्र श्री एल.सी डिसूजा, (मृतक) जरिये वारिसान :-

1. श्रीमती मोनिका डिसूजा पत्नी श्री एम0डिसूजा
2. श्री डोमिनिक पुत्र श्री एम0 डिसूजा
3. मिलिण्डा पुत्री श्री एम0 डिसूजा
4. नोरिन पुत्री श्री एम0 डिसूजा
जाति रोमन केथोलिक किश्चियन, निवासीगण -सेन्ट थोमस स्कूल, बाबू मौहल्ला,
अलवर गेट, अजमेर।अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री गणेशलाल जाति महाजन निवासी रगत्या गली, नया बाजार अजमेर, जरिये मुख्यार आम श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह रावत
2. श्री तेजप्रकाश पुत्र श्री रामनारायण जाति सराफ निवासी नया बाजार अजमेर जरिये मुख्यार आम श्रीमती किशोरी शर्मा पत्नी श्री एस0के0 शर्मा निवासी नया बाजार, अजमेर
3. श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री हरकचन्द्र सराफ (मृतक) जरिये वारिसान:-
3/1. श्री सोहनलाल पुत्र श्री कैलाशचन्द्र
4. श्री सुभाष पुत्र श्री कैलाशचन्द्र (मृतक) जरिये वारिसान :-
4/1. अक्षय जैन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र जैन
4/2. श्रीमती आभा सोनी पत्नी श्री नरेन्द्र जैन पुत्री श्री कैलाश चन्द्र
4/3. श्रीमती ललिता पाटनी पत्नी श्री पदमचन्द्र पाटनी पुत्री श्री कैलाश चन्द्र
4/4. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुभाषचन्द्र पाटनी पुत्री श्री कैलाश चन्द्र
4/5 श्री अंकित पुत्र श्री सुभाष चन्द्र पौत्र श्री कैलाश चन्द्र समस्त जाति जैन निवासी गली नं0 02 सुन्दर विलास अजमेर।
5. स्टेट कम्पिटेन्ट (पुर्नवास) ऑफिसर राजस्थान, जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थित :- 1. श्री खडगसिंह, शिवप्रकाश अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स सं 1,3,4
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी पैरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956

आदेश

दिनांक -02.02.2018

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील एवं जिला-अजमेर के राजस्व ग्राम सोमलपुर स्थित कृषि भूमि खाता सख्या 691 में अंकित कुल किता 22 कुल रकबा 30-15-10 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 9.04.2001 से स्टेट कम्पिटेन्ट आफिसर राजस्थान जयपुर के क्लेम संख्या 10/cu/अजमेर/64 दिनांक 24.5.1969 में जारी सर्टिफिकेट ऑफ सेल के आधार पर सर्व श्री रामचन्द्र श्री तेजप्रकाश व श्री कैलाशचन्द्र मार्फत श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री हरकचन्द्र सराफ नया बाजार अजमेर के पक्ष में स्वीकार किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 09.04.2001 से असंतुष्ट होकर यह



02/02/18
जिला कलक्टर
अजमेर

अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगावने हेतु पत्र जारी किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूल आक्षेपीय नामान्तरकरण प्रस्तुत किया गया। परन्तु वकील अपीलान्त द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली तलब किये जाने का निवेदन किये जाने पर सम्पूर्ण पत्रावली उपलब्ध नहीं होने की दशा में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिन दस्तावेजात के आधार पर आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया उनकी छाया प्रतियाँ मय रिपोर्ट के प्रस्तुत की गई। अपील के विचाराधीन रहते अपीलान्त की मृत्यु हो जाने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के जीवित नहीं होने के कारण अपीलान्त एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व इनके मुख्याार आम के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर समस्त रेस्पोडेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किए गये। रेस्पोडेन्ट्स जरिये वकील उपस्थित हुए तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई वकील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियाद के बिन्दू पर प्रारम्भिक एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील को गुणवगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलो की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्त ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की ओर से प्रस्तुत फर्जी सेल सर्टिफिकेट की छाया प्रति के आधार पर बिना किसी जांच नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही कर नियमों की घोर अवहेलना कर आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जबकि नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक है। आक्षेपीय नामान्तरकरण में अंकित अन्य खसरा नम्बरान के साथ ही हाल खसरा नम्बर 1971 जिसके पूर्व खसरा नम्बर 1709 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि के खातेदार रहीमा व चन्दा थे, जिसकी पुष्टि फसली सन् 1359 की जमाबन्दी से होती है। वकील अपीलान्त ने कथन किया कि उक्त भूमि कभी भी कस्टोडियन विभाग में दर्ज नहीं रही है, बल्कि विवादित भूमि पर लगातार रहीमा व चन्दा का कब्जा काशत चला आ रहा था। विवादित भूमि को खातेदार रहीमा व चन्दा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.7.1968 से विक्रय कर कब्जा संभला दिया तथा क्रय दिनांक से ही अपीलान्त विवादित भूमि पर लगातार काबिज काशत चला आ रहा है, जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी में हुए अंकन से होती है। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलान्त के बार-बार निवेदन करने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्त के पक्ष में नहीं किया तत्पश्चात भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तौर पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलान्त की क्रय शुदा भूमि को कस्टोडियन के नाम दर्ज कर दिया गया जिसकी जानकारी होते ही अपीलान्त द्वारा एक राजस्व वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष वास्ते घोषणा खातेदारी प्रस्तुत किया, किन्तु वाद के विचाराधीन रहते ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा फर्जी सेल सर्टिफिकेट के आधार पर अन्य खसरा नम्बरान के साथ ही अपीलान्त की क्रयशुदा भूमि को शामिल करते हुए आक्षेपीय नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। वकील अपीलान्त ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि बाबत राजस्व वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा विवादित भूमि कभी भी कस्टोडियन विभाग की नहीं रही है बल्कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व से ही रहीमा विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में रहीमा व चन्दा द्वारा अपीलान्त के पक्ष में किया गया



01/07/18
जिला कलेक्टर
अजमेर

विक्रय पूर्णतया वैध है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के विवादित भूमि को राजस्व रेकार्ड में कस्टोडियन के नाम दर्ज कर दिया है, जो कतई गैर कानूनी है तथा इस गलत इन्द्राज के तहत रेस्पोडेन्ट्स ने एक फर्जी व गैर कानूनी सर्टिफिकेट ऑफ सेल जो न तो कभी रजिस्टर्ड किया गया तथा न ही विवादित भूमि को कभी नीलाम ही किया गया ऐसी-स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की अजमेर के पैराफेरी क्षेत्र में स्थित लगभग 59 बीघा भूमि का रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में आक्षेपीय नामान्तरकरण बिना किसी जांच व बिना किसी आधार के स्वीकृत कर राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुँचाई गई है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कतई पालना नहीं की गई है। केवल आक्षेपीय नामान्तरकरण को महज नोट डालकर स्वीकृत किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने भी सेल सर्टिफिकेट पर शंका होने के कारण नामान्तरकरण को कोर्ट केस पेडिंग है तो निर्णय उसके अधीन रहना मानते हुए नामान्तरकरण गलत रूप से तस्दीक किया है। नियमानुसार उन्हें कोर्ट केस पेडिंग होने अथवा अन्य किसी प्रकार की खामियाँ होने की विस्तृत जांच करनी चाहिये थी, इसके अतिरिक्त अपीलान्त विवादित भूमि पर पिछले 32 वर्षों से काबिज है। इन्हे आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक था। अन्त में उन्होंने कथन किया कि कस्टोडियन विभाग की भूमि का मैनेजिंग आफिसर जयपुर को विक्रय करने का अधिकार नहीं है, केवल भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा ही कस्टोडियन भूमि का विक्रय किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 9.4.2001 निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलान्त द्वारा समस्त कथन झूठे एवं मनगढन्त है। अपीलान्त द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जबकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज कस्टोडियन भूमि सार्वजनिक नीलामी द्वारा दिनांक 24.6.1969 को पर्याप्त प्रतिफल अदा कर स्टेट क्रॉम्बीटेन्ट ऑफिसर राजस्थान जयपुर से क्रय की है तथा उनके क्लेम संख्या 10/cu/अजमेर/64 दिनांक 24.5.1969 की अनुपालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण बाद विधिक प्रक्रिया के पूर्ण जांच पश्चात स्वीकृत किया है। अपीलान्त का यह कथन कि हाल खसरा नम्बर 1971 साबिक खसरा नं० 1709 रकबा 05-13-00 बीघा भूमि उनके द्वारा क्रयशुदा है, सही नहीं है क्यो कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा क्रय के रोज प्रश्नगत भूमि कस्टोडियन दर्ज थी। अपीलान्त के विचारणीय राजस्व वाद का निर्णय यदि उनके पक्ष में हो तो अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से निरस्त की जावे।

हमने उभय पक्ष के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली-का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आक्षेपीय नामान्तरकरण से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली न्यायालय द्वारा चाहे जाने हेतु अनेक स्मरण पत्र/अर्द्ध शासकीय पत्र अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये गये है। तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2004 से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 9.4.2001 से संबंधित प्रार्थना पत्र, आदेश आदि रेकार्ड अनुपलब्ध/गायब है। तहसीलदार द्वारा इस संबंध में तत्कालीन पटवारी हल्का श्री रमेशचन्द्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी पत्र दिनांक 02.11.2006 से अवगत करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण के संबंध में की गई समस्त कार्यवाही संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त



02/02/18
जिला कलेक्टर
अजमेर

रेस्पोजेन्ट्स द्वारा भी अपने कथनों के समर्थन में कम्पिटेन्ट ऑफिसर राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ सेल की मूल अथवा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 233_दिनांक 09.04.2001 निरस्त किया जाकर तहसीलदार अजमेर को आदेशित किया जाता है कि संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के साथ ही पक्षकारान से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश पारित करें, तब तक विवादित भूमि कस्टोडियन खाते में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज किये जाने के साथ ही अनुपलब्ध रेकार्ड के संबंध में की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर